स.ए. 20011/4/2017-हिंदी/Hindi

भारत सरकार / Government of India

गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार

Directorate of Coordination Police Wireless

खण्ड सं ,9 .के.स.का .परिसर/Block No.9, C.G.O., Complex,

लोधी रोड ,नई दिल्ली/Lodhi Road, New Delhi-3

दिनांक /Dated: 16 अप्रैल 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

अपर निदेशक (मुख्यालय), समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की अध्यक्षता में निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की मार्च 2019 को समाप्त तिमाही की बैठक का आयोजन 20 मार्च 2019 को अपराह्न 1530 बजे सम्मेलन कक्ष, तृतीय तल, के.स.का. परिसर, ब्लॉक सं.-9 में किया गया। उक्त बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों एवं संबंधितों की सूचना, रिकार्ड एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न है।

2. अनुरोध है कि कार्यवृत्त में उल्लिखित मदों पर अपेक्षित कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई से राजभाषा अनुभाग को एक माह के भीतर अवगत करवा दें।

3. यह कार्यवृत्त निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

16-4-19

(विद्याधर)

उप निदेशक (राजभाषा/बीजलेख)

दूरभाष : **011-24366317**

ई-मेल आईडी- vidyadhar@dcpw.gov.in

संलग्नक : यथोपरि।

प्रति:-

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य।
2. सभी अनुभाग अधिकारी/अनुभाग।
3. सहायक निदेशक, पोलनेट हब स्टेशन, समन्वय सदन, सिरी गांव, नई दिल्ली ।
4. सहायक निदेशक, केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वन्दे मातरम् मार्ग, नई दिल्ली ।
5. अतिरिक्त सहायक निदेशक/स्टेशन अधीक्षक - सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार स्टेशन ।
6. स.नि. सूचना और प्रोद्योगिकी - विभाग के वेबसाइट (कार्यालय आदेश भाग) में अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल ।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ:-

1. निदेशक के प्रधान वैयक्तिक सचिव/अपर निदेशक (मुख्यालय) के वैयक्तिक सचिव ।
2. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, आठवां तल, एनडीसीसी II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली- 110001 को इस कार्यालय के पत्र संख्या 20011/13/2018-हिंदी, दिनांक 18 मार्च 2019 के संदर्भ में कार्यवृत्त सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार

(राजभाषा अनुभाग)

विषय: समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक (मार्च 2019) की कार्यवृत्त।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक जो निदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनॉक 20 मार्च 2019 को आयोजित होनी निर्धारित थी, निदेशक महोदय के बाह्य स्टेशन में दौरे पर चले जाने के कारण यह बैठक श्री देवन्द्र सिंह, (भा.दू.से.), अपर निदेशक (मुख्यालय) की अध्यक्षता में दिनॉक 20 मार्च 2019 को 1530 बजे (अपराह्न) निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित हुई । बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों ने भाग लिया:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	
1.	श्री देवेन्द्र सिंह, (भा.दू.से.), अपर निदेशक (मुख्यालय)	अध्यक्ष
2.	श्री एम.एस.एन. स्वामी, संयुक्त निदेशक (संचार)	सदस्य
3.	श्री आर.के. वर्मा, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)	सदस्य
4.	श्री घनश्याम, उप निदेशक (प्रशासन)	सदस्य
5.	श्री नरेश कुमार, उप निदेशक (समन्वय/सामग्री प्रबंधन)	सदस्य
6.	श्री विक्रम सिंह पवांर, उप निदेशक (संचार)	सदस्य
7.	श्री विद्याधर, उप निदेशक (बीजलेख/राजभाषा)	सदस्य सचिव
8.	श्री हेमन्त कुमार, सहायक निदेशक (प्रशासन)	सदस्य
9.	श्री मयंक कपूर, सहायक निदेशक (पोलनेट अनुभाग)	सदस्य
10	श्री आर.के सिंह, सहायक निदेशक (भंडार)	सदस्य
11	श्री शशि कांत सिंह, सहायक निदेशक (क्रय)	सदस्य
12	श्री लक्ष्मी शंकर यादव, सहायक निदेशक (सं.के.)	सदस्य
13	श्री मनीष अग्रवाल, सं.स.नि. (प्रशासन)	सदस्य
14	श्री विजय सिंह, सं.स.नि. (सं)	सदस्य
15	श्री कुलदीप के.रावत, लेखा अधिकारी	सदस्य
16	श्री दिनेश सिंह, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	सदस्य

बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन करते हुए सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की। बैठक मे कार्यसूची के अनुसार निम्नलिखित मदों पर विचार विमर्श करके आवश्यक निर्णय लिए गए:-

मद संख्या 1. पिछली बैठक की कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट. विभागीय राजभाषा कार्यन्वयन समिति की पिछली तिमाही की बैठक दिनॉक 31 दिसम्बर 2018 को अपर निदेशक (मुख्यालय) की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक की कार्यवृत्त सभी सदस्यों को भेजी गयी थी।

मद संख्या 2. पिछले बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा. सदस्य सचिव ने विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनुपालन रिपोर्ट के बिंदुओं की समीक्षा करने पर निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

क.) **<u>अंतर राज्य पुलिस बेतार स्टेशनों में राजभाषा हिंदी की तिमाही बैठक और हिंदी कार्यशाला की स्थिति</u>**. जिन अं.रा.पु.बे. केन्द्र में अभी तक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित नहीं हुई है वे सभी स्टेशन अपने केन्द्रों में राजभाषा कार्यन्वयन समिति गठित करेंगे और स्टेशन अधीक्षक की अध्यक्षता में तिमाही बैठक नियमित आयोजित करेंगे तथा यथासम्भव बैठक के दिन ही हिंदी कार्यशाला का भी आयोजन करेंगे। साथ ही निर्णय लिया गया इस मार्च की तिमाही के लिए हिंदी अनुभाग से एक फैक्स/संदेश तुरंत भेजा जाए कि सभी बाह्य केन्द्र मार्च 2019 तिमाही की बैठक व कार्यशाला का आयोजन करें।

<u>अनुवर्ती कार्रवाई</u>. राजभाषा अनुभाग/सभी अ.रा.पु.बे स्टेशन।

ख.) **<u>अं.रा.पु.बे. केन्द्रों द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सदस्यता</u>**. अभी तक 21 स्टेशनों ने ही नराकास की सदस्यता ग्रहण की है। समिति में निर्णय लिया गया जिन 10 स्टेशनों ने नराकास की सदस्यता ग्रहण नहीं की है वे सभी कार्यालय भी नराकास की सदस्यता लेगें।

<u>अनुवर्ती कार्रवाई</u>. सभी अ.रा.पु.बे. स्टेशन

ग.) **<u>अ.रा.पु.बे. केन्द्रों के कार्मिकों का हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान</u>**. राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के तहत अधिसूचित करने के लिए प्रत्येक कार्यालय के कार्मिकों का कार्यसाधक ज्ञान की जानकारी ली जाती है। 80 प्रतिशत या इससे अधिक कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले कार्यालय को इस नियम के तहत अधिसूचित किया जाता है। इस संबंध में सभी स्टेशनों से जानकारी मांगी गई थी और अनुस्मारक भी दिए गए थे। समीक्षा करने पर पाया गया कि 31 स्टेशनों में से 14 स्टेशन पहले से ही अधिसूचित हैं , बाकी बचे 17 स्टेशनों में से केवल 7 स्टेशनों से कार्यसाधक ज्ञान के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। निर्णय लिया गया कि बचे हुए 10 स्टेशनों से यह सूचना मंगायी जाए। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जो स्टेशन जानकारी नहीं देता है उनके स्टेशन अधीक्षक को जवाब नहीं देने के लिए स्पष्टीकरण लिया जाएगा।

<u>अनुवर्ती कार्रवाई</u>. सभी अं.रा.पु.बे. केन्द्र/हिंदी अनुभाग।

घ.) **<u>हिंदी पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करना</u>**. निदेशालय का हिंदी पत्राचार लक्ष्य से बहुत कम होने पर निर्णय लिया गया कि हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए सभी अनुभागों एंव अं.रा.पु.बे. केन्द्रों को अनुस्मारक भेजे।

<u>अनुवर्ती कार्रवाई</u>. सभी अं.रा.पु.बे. केन्द्र/सभी अनुभाग।

ङ.) **<u>कम्पयुटर में यूनीकोड (माइक्रोसोफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल) प्रणाली लोड करना</u>**. इस पर चर्चा एवं परिचर्चा करने के बाद पाया गया कि कार्यालय के सभी कार्मिकों को हिंदी टाइपिंग नही आती है जिसके कारण उन्हें कम्प्युटर में हिंदी में काम करने में कठिनाई होती है। ऐसा यूनिकोड समर्थित सोफ्टवेयर जिसमें रोमन में टाइप करने से हिंदी आ जाती हो और हिंदी टाइपिंग नहीं जानने वाले कार्मिक भी आसानी से कम्प्यूटर पर हिंदी टाइप कर सकते हैं उसे कार्यालय के सभी कम्प्यूटरों में लोड करना चाहिए। निर्णय लिया गया कि आई.टी सेक्शन सभी कम्प्यूटरों में फोनेटिक (ध्वन्यात्मक) यूनिकोड सोफ्टवेयर लोड करेंगे व सुनिश्चित करेंगे की मुख्यालय के सभी कम्प्यूटरों में यह सुविधा उपलब्ध है। साथ ही सभी अनुभाग/अनुभाग अधिकारी भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके अनुभाग में उपलब्ध सभी कम्प्यूटरों में हिंदी टाइपिंग करने के लिए यूनीकोड (फोनेटिक) सॉफ्टवेयर लोड कर दिया गया है।

<u>अनुवर्ती कार्रवाई- आई.टी अनुभाग/सभी अनुभाग</u>

स्टेशनों का निरीक्षण करना आवश्यक है इनके नाम सुझावित करके उ.नि. (समन्वय) को भेजेंगे। उप निदेशक (समन्वय) अं.रा.पु.बे. स्टेशनों के राजभाषा निरीक्षण की रूप-रेखा तैयार करके इस वर्ष हेतु 08 बाह्य स्टेशनों के निरीक्षण के लिए अधिकारियों को नामित करेंगे और इसका निरीक्षण कार्यक्रम साथ ही हिंदी अधिकारी हिंदी निरीक्षण का फार्मेट तैयार करेंगे। जब अं.रा.पु.बे. केन्द्र में कोई भी निरीक्षण होता है तब वे अधिकारी उस स्टेशन की राजभाषा का भी निरीक्षण करेंगे।

अनुवर्ती कार्रवाई, उप निदेशक (समन्वय)/हिंदी अधिकारी

मद संख्या 5. अध्यक्ष महोदय से अनुमति से किसी अन्य विषय पर चर्चा. सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेकर गृह मंत्रालय के राजभाषा अधिकारियों द्वारा इस निदेशालय के हाल ही में किए गए निरीक्षण के निरीक्षण रिपोर्ट के बिंदुओं पर चर्चा की, जो इस प्रकार से थी:-

क.) **गृह मंत्रालय के राजभाषा अधिकारियों द्वारा समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार कार्यालय का दिनॉक 30/01/2019 को राजभाषा निरीक्षण की रिपोर्ट**. इस निरीक्षण के संबंध में गृह मंत्रालय के दिनॉक 31 जनवरी 2019 के पत्र सं. 11014/01/2018 - रा.भा. (निरीक्षण) के उल्लिखित निरीक्षण रिपोर्ट में दी गई बिंदुओ पर चर्चा की गई। सदस्य सचिव ने बताया कि कुल 17 बिन्दुओ में से चार बिंदुओ पर कार्रवाई पूरी कर दी गई है। जिसमें कार्यालय का सूचना प्रबंध प्रणाली में ऑनलाईन पंजीकरण कराके तिमाही रिपोर्ट राजभाषा विभाग को ऑनलाईन भेजने, सहायक निदेशक (राजभाषा) के रिक्त पद को भरने हेतु प्रतिनियुक्ति पर चयनित अधिकारी को नियुक्ति प्रस्ताव भेजने, सभी रजिस्टरों में हिंदी मे प्रविष्टि करने से संबंधित बिंदु शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि बाकी सभी बिंदुओ पर आवश्यक कार्रवाई करके इसका उत्तर गृह मंत्रालय को दी जाए। सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि बाकी बिंदुओं में कार्रवाई करने के लिए सभी अनुभागों को परिपत्र जारी कर दिया गया है। सभी अनुभाग इस पर कार्रवाई करते हुए हिंदी अनुभाग को अनुवर्ती कार्रवाई भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अनुवर्ती कार्रवाई, सभी अनुभाग/हिंदी अनुभाग

ख.) **उपस्थित सदस्यों के सुझाव**.

अ) श्री शशिकांत सिंह, सहायक निदेशक (क्रय) ने सुझाव दिया कि अहिंदी भाषी कार्मिको को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान देने के लिए हिंदी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सदस्य सचिव ने बताया कि जब भी राजभाषा विभाग से हिंदी प्रशिक्षण में नामित करने हेतु पत्र आता है, इस पत्र को सभी अनुभागों में नाम मांगने के लिए नेमी टिप्पणी जारी की जाती है। लेकिन पाया गया कि कोई भी अनुभाग नाम नही भेजते हैं। निर्णय लिया गया कि अनुभाग अपने कार्मिको को हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित करेंगे।

अनुवर्ती कार्रवाई, सभी अनुभाग।

ब) श्री हेमन्त कुमार, स.नि.(प्रशा.) ने बताया कि इस बैठक की कार्यवाही को कम्प्युटर /स्क्रीन के माध्यम से दिखाने के लिए हिंदी अधिकारी एंव आई.टी. अनुभाग बधाई के पात्र हैं। श्री आर.के. वर्मा, सं.नि. (प्रशिक्षण) ने इसका समर्थन किया।

च.) **के.पु.रे.प्र.सं. में कम्प्युटर पर हिंदी में काम करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम**. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) ने अवगत कराया कि वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2019-20 में यह प्रशिक्षण दो बार रखा गया है और इसे तीन दिन से बढ़ाकर पाँच दिन का किया गया है। तीन दिन का प्रशिक्षण के.पु.रे.प्र.सं. के प्रशिक्षण अधिकारी चलाएंगे और दो दिन मुख्यालय के हिंदी अनुभाग के लिए रखे गए हैं।

छ.) **हिंदी में किए जाने वाले कार्य की जांच के लिए प्रारुप-पत्र**. हिंदी में किए जा रहे कार्य के लिए जो प्रारुप-पत्र बनाया गया था, बैठक में इसकी एक-एक प्रति सभी सदस्यों को वितरित की गयी और इस संबंध में उनकी राय ली गयी। सभी सदस्यों ने इस पर अपनी असहमति व असहजता जतायी। निर्णय लिया कि इस बिंदु पर अब कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

मद संख्या 3. **पिछली हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आंकडो पर चर्चा**. मुख्यालय की पिछली हिंदी की तिमाही रिपोर्ट पर चर्चा करने पर पाया गया कि मुख्यालय का हिंदी पत्राचार लक्ष्य से बहुत कम है। अनुभाग वार तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा करने पर क्रय, भूमि व भवन, समन्वय अनुभाग, पोलनेट हब और के.पु.रे.सं. का हिंदी पत्राचार कम पाया गया। निर्णय लिया गया कि सभी अनुभाग हिंदी पत्राचार को बढ़ाए और अनुभाग अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके हिंदी पत्राचार पिछली तिमाही के अपेक्षा आगामी तिमाही में कम न हो। अध्यक्ष महोदय ने तिमाही रिपोर्ट के आकड़े देखने पर कहा कि अगली बैठक में संबंधित अनुभाग के पत्राचार के प्रतिशत के कॉलम में (+कितना) या (-कितना) का चिन्ह लगाकर कितना अधिक व कितना कम हुआ उसे भी कोष्ठक में अंकित कर दें। बैठक में मुख्यालय की पिछली तिमाही रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय के तरफ से प्राप्त समीक्षा पर भी चर्चा की गई और उनके रिपोर्ट पर बताई गई टिप्पणियों पर हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए निर्णय लिया गया।

अनुवर्ती कार्रवाई- सभी अनुभाग/अं.रा.पु.बे. केन्द्र।

मद संख्या 4. **वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2019-20 में दिए गए लक्ष्यों पर चर्चा**. हिंदी के प्रयोग के लिए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2019-20 पर विस्तार से चर्चा की गई और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए गएः-

क.) **हिंदी में मूल पत्राचार**. स.नि.पु.बे. (मुख्यालय) 'क' क्षेत्र में है, और 'क' क्षेत्र के लिए हिंदी का मूल पत्राचार 100./. निर्धारित है। हमारे कार्यालय का हिंदी पत्राचार अभी लक्ष्य से बहुत कम है। सभी अनुभाग/अं.रा.पु.बे. केन्द्र हिंदी पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे।

अनुवर्ती कार्रवाई- सभी अनुभाग/अं.रा.पु.बे. केन्द्र।

ख.) हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना, हिंदी में टिप्पण, हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सभी मदों के निर्धारित लक्ष्य पर चर्चा करने के बाद अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कि अगली बैठक में वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के सभी मदों पर चर्चा करते समय हमारे कार्यालय ने अभी तक कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, उस पर चर्चा की जाएगी ताकि इसके लिए और ठोस पहल की जा सकेगी।

अनुवर्ती कार्रवाई. सभी अनुभाग/हिंदी अनुभाग

ग.) **कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण**. निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 25./. (न्यूनतम) है। इस मद पर चर्चा करते हुए बताया गया कि हमारे कार्यालय के कुल 31 अधीनस्थ कार्यालय हैं। अतः इस कार्यालय को प्रत्येक वर्ष 8 अं.रा.पु.बे. केन्द्रों का राजभाषाई निरीक्षण करने का लक्ष्य है। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि उप निदेशक (समन्वय), समन्वय अनुभाग इस कार्य का समन्वय करेंगे। हिंदी अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर पहले किन

ग.) **<u>अध्यक्ष महोदय के प्वाइंट.</u>**

अ) अध्यक्ष महोदय ने जानकारी मांगी कि विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में सदस्य किस स्तर तक के अधिकारी हो सकते हैं। इस पर उन्होने हिंदी अधिकारी को नियम दिखाने के लिए कहा। राजभाषा नीति के तहत जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार इन बैठकों में मंत्रालय/विभाग एवं कार्यालय के सभी प्रभागों या अनुभागों का प्रतिनिधित्व उप सचिव/अवर सचिव एवं अनुभाग अधिकारी के स्तर पर होना चाहिए और विभागाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं।

<u>अनुवर्ती कार्रवाई. हिंदी अधिकारी</u>

ब) राजभाषा अधिकारी व सभी सदस्यों के बीच हिंदी भाषा पर हुए चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने हिंदी अधिकारी को अगले बैठक में हिंदी भाषा की उत्पत्ति पर जानकारी देने को कहा।

<u>अनुवर्ती कार्रवाई. हिंदी अधिकारी</u>

स) अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर सभी सदस्य एवं अनुभाग अधिकारी अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे और साथ ही हिंदी अनुभाग द्वारा राजभाषा से संबंधित जो भी जानकारी मांगी जाती है उस पर संबंधित अनुभाग जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इस बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन एवं राजभाषा नीति के समुचित अनुपालन हेतु हिंदी अनुभाग निदेशालय के अनुभागों को पत्र, परिपत्र व कार्यालय ज्ञापन आदि जारी करते रहेंगे। महोदय ने बताया कि जिस अनुभाग से या अं.रा.पु.बे. केन्द्र से अनुवर्ती कार्रवाई प्राप्त नहीं होती है उनके नाम हिंदी की तिमाही बैठक में समिति के सूचना के लिए लाई जाएगी।

<u>अनुवर्ती कार्रवाई. हिंदी अनुभाग/सभी अनुभाग एवं अं.रा.पु.बे. केन्द्र</u>

अंत में अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक को समाप्त घोषित किया।

16-4-13

(विद्याधर)

उप निदेशक (राजभाषा/बीजलेख)

****